कार्यालय प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर
(राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय)

डॉ. राज सिंह कुशवाह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख

Ph. 0751 – 2364090 (O)
0751 – 2231796 (R)
E-mail –kvkgwalior@rediffmail.com

क्र./ कृ.वि.के./2019/576 दिनांकः 27/08/2019

''फल–बगीचा ठेका विज्ञप्ति''

फल बाग ठेका लेने हेतु इच्छुक लोगों को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर के एग्रो–टेक्नोलोजी पार्क के फल–बाग (आंवला, अमरूद, नींबू, अनार, मौसम्बी, संतरा, बेर, एवं बेल) का ठेका देने हेतु निविदा दिनांक 07/09/2019 को दोपहर 2.00 बजे तक कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। जिन्हें उसी दिन दोपहर 3.00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष खोला जावेगा। इच्छुक लोग फलों के बगीचे का अवलोकन रेस कोर्स रोड़ (मेला रोड़) पर मेला परिसर के सामने कर सकते है। निविदा में भाग लेने हेतु **रूपये 5000/– (अंकन रूपये पाँच हजार मात्र)** नगद सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना आवश्यक होगा। निविदा फार्म कार्यालयीन समय पर राशि रू. 500/– जमा कर दिनांकः 06/09/2019 तक प्राप्त किये जा सकते है।

प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख

कार्यालय प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर
(राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय)

डॉ. राज सिंह कुशवाह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख

Ph. 0751 – 2364090 (O)
0751 – 2231796 (R)
E-mail –kvkgwalior@rediffmail.com

फल–बाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर वर्ष 2019–20 ठेका–अनुबंध

1. फल–बाग की अवधि ठेका दिनांक 30–06–2020 तक रहेगा।
2. बोली/टेन्डर में भाग लेने से पूर्व टेण्डर–प्रपत्र की मूल्य राशि रू. 500/– जमा कर प्रपत्र प्राप्त करें तथा इसके अतिरिक्त नीलामी/बोली/टेण्डर की जमानत राशि रू. 5000/– निविदा/बोली के समय नगद जमा कराना आवश्यक है।
3. नीलामी के बाद प्रथम एवं द्वितीय बोली वाले की जमानत राशि रोक कर शेष ठेकेदारों की जमानत राशि उसी दिन वापस कर दी जावेगी।
4. ठेके स्वीकृत होने के **10 दिन** के अंदर ठेके की कुल रकम का **25 प्रतिशत** भाग जमा करना आवश्यक है। शेष धन राशि **50 प्रतिशत** माह नवम्बर के अंत में और **25 प्रतिशत** माह दिसम्बर के अंत तक जमा करना अनिवार्य होगा। अतः दिनांक **31–12–2019** तक संपूर्ण धन राशि जमा हो जाना चाहिये।
5. ठेका स्वीकृत करने/न करने का अधिकार प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर को सुरक्षित है।
6. प्रथम वोली वाला ठेकेदार यदि उक्त राशि समय रहते अथवा उपरोक्तानुसार जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जप्त कर ली जावेगी एवं ठेका द्वितीय बोली वाले को लेना होगा। यदि वह भी निर्धारित समय में उक्त राशि जमा नहीं करता है तो उसकी भी जमानत राशि जप्त कर ली जावेगी। द्वितीय बोली की स्वीकृति देना या ना देना, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकार में होगा।
7. प्राकृतिक प्रकोप या अन्य किसी भी प्रकार से ठेकेदार को कोई हानि होती है तो उसे वह स्वयं वहन करेगा कृषि विज्ञान केन्द्र का दायित्व नहीं रहेगा।
8. फल वृक्षों पर कीट एवं रोग व्याधि का प्रकोप होने की स्थिति में फल वृक्षों पर कीटनाशी एवं रोगनाशी दवा का छिड़काव एवं समस्त व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। कीटनाशी एवं रोगनाशी दवा के छिड़काव करने के पूर्व केन्द्र के वैज्ञानिकों की अनुमति लेना आवश्यक होगा।
9. फल–बाग के अंदर ठेकेदार पशुओं/असमाजिक तत्वों को नहीं आने देगा।
10. ठेकेदार फल–बाग से लकड़ी नहीं काटेगा और फल वृक्षों को हानि नहीं पहुँचायेगा।
11. ठेकेदार फल–बाग में प्रायोगिक अनुसंधान संबंधी कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करेगा।
12. बीज चयन हेतु चयन किये गये 4–5 फलदार पेड़ों के फल बीज प्रक्रिया हेतु संरक्षित रहेंगे।
13. फल–बाग के अंदर ठेकेदार अनुशासन में रहेगा अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
14. फल–बाग के अंदर ठेकेदार साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेगा और गंदगी नहीं करेगा।

प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख

ठेकेदार/टेन्डर फार्म डालने वालों के नाम एवं हस्ताक्षर